न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़।
पीठासीन अधिकारी — अशोक असीजा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 60/2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़

प्रार्थी

बनाम

हरिराम नाथ पुत्र सहीराम नाथ निवासी बीनासर तह0 सरदारशहर जिला चूरू

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई.सी. एक्ट

उपस्थित :- 1 श्री शिवरतन [illegible] सहायक राजकीय अभियोजक।
2 श्री [illegible] अप्रार्थी अधिवक्ता।

-:निर्णय:-

दिनांक: [illegible].2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.06.2021 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ हमराह कार्यालय स्टाफ के साथ पैट्रोल डीजल की अवैध तस्करी, भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरूद्ध अभियान के तहत मिर्जावाली मेर तह0 टिब्बी में पिकअप नं0 RJ-10-GA-7294 को रूकवाकर तलाशी ली गई। मौके पर उपस्थित गवाहो के समक्ष तलाशी के दौरान 1800 लीटर डीजल भरा 08 प्लास्टिक ड्रम एवं 1 प्लास्टिक कैनी तथा डीजल क्रय किये गये बिल मिले। वाहन चालक ने स्वय का नाम हरिराम नाथ पुत्र सहीराम नाथ उम्र 27 वर्ष जाति सिद्ध निवासी बीनासर तह0 सरदारशहर जिला चूरू का होना बताया। मुताबिक हरीराम उक्त पिकअप में भरा समस्त डीजल ऐलनाबाद रोड स्थित रजधानी पैट्रो सिटी (हरियाणा) पेट्रोल पम्प से खरीद किया गया है एवं डीजल के उपयोग एवं परिवहन के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया एवं न ही कोई वैध दस्तावेज लाईसेंस, परमिट आदि होना बताया। मौके पर पाये गये 1800 लीटर डीजल भरा 08 प्लास्टिक ड्रम एवं 1 प्लास्टिक कैनी के संबंध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 1800 लीटर डीजल भरा 08 प्लास्टिक ड्रम एवं 1 प्लास्टिक कैनी एवं डीजल क्रय किये गये बिल तथा पिकअप नं0 RJ-10-GA-7294 को मौके पर जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री सुभाष पुत्र मनसाराम उम्र 49 वर्ष जाति ब्राह्मण पेशा उचित मूल्य दुकानदार मिर्जावाली मेर तह0 टिब्बी को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार हरिराम नाथ पुत्र सहीराम नाथ उम्र 27 वर्ष जाति सिद्ध निवासी बीनासर तह0 सरदारशहर जिला चूरू द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्चवेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लंघन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना अंतर्गत 6ए प्रस्तुत कर राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़ निवेदन किया गया कि जब्त पिकअप नं0 RJ-10-GA-7294 मय 1800 लीटर डीजल भरा 08 प्लास्टिक ड्रम एवं 1 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद

अधिकारी हनुमानगढ़ को अस्थायी निस्तारण कर ज्ञात राशि राजकोष में जमा करवाए जाने के निर्देश दिनांक 17.6.2021 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी तथा उसके अभिभाषक जरिये नोटिस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, प्रार्थना पत्र वास्ते सुपुर्दगी पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि अप्रार्थी ने जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को जब्ती के समय बता दिया था कि अप्रार्थी स्वयं व उसके परिवार के सदस्य अपने घरू उपयोग हेतु एवं निजी साधनों यथा ट्रैक्टर, ट्रक, बोलेरो कैम्पर इत्यादि में ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग करते हैं उक्त तेल का बेचान अप्रार्थी द्वारा नहीं किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 2006 में जारी अधिसूचना के अन्तर्गत एक व्यक्ति एक समय में बिना अनुज्ञप्ति या किसी आदेश के 2500 लीटर डीजल अपने कब्जा में रख सकता है, जिसका कोई स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक नहीं है, अप्रार्थी स्वयं व परिवार के उपयोग हेतु बोलेरो, कैम्पर तथा कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर व आजीविका चलाने हेतु ट्रक (ओपन बॉडी) रखता है। अप्रार्थी द्वारा जब्तशुदा डीजल व पेट्रोल को अपने साधनों में डालने के लिए अन्य जार उपकरणों का उपयोग व उपभोग किया जाता है, सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि अप्रार्थी उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। उपरोक्त वाहन अप्रार्थी व उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ के पास वाहन के रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। वाहन के उचित रख रखाव के अभाव में रंग रोगन, टायर–ट्यूब, इंजन खराब होने का अन्देशा है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध स्टेट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी की जब्त पिकअप नं0 RJ-10-GA-7294 मय 1800 लीटर डीजल मय 08 प्लास्टिक ड्रम एवं 1 प्लास्टिक कैनी को वापस लौटाये जाकर जब्ती की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा जब्तशुदा डीजल को ड्रम के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल तेल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अप्रार्थी ने जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को जब्ती के समय बता दिया था कि अप्रार्थी स्वंय व उसके परिवार के सदस्य अपने घरू उपयोग हेतु एवं निजी साधनों यथा ट्रैक्टर, ट्रक, बोलेरो कैम्पर इत्यादि में ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग करते हैं। उक्त तेल का बेचान अप्रार्थी द्वारा नहीं किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 2006 में जारी अधिसूचना के अंतर्गत एक व्यक्ति एक समय में बिना अनुज्ञप्ति या किसी आदेश के 2500 लीटर डीजल अपने कब्जा में रख सकता है, जिसका कोई स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक नहीं है। सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अप्रार्थी उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। उपरोक्त वाहन अप्रार्थी व उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ के पास वाहन के रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। वाहन के उचित रख रखाव के अभाव में रंग–रोगन, टायर–ट्यूब, इंजन खराब होने का अन्देशा है। अतः जब्तशुदा वाहन मय डीजल, वाहन के मय कागजात अप्रार्थी को लौटाकर प्रार्थी (अप्रार्थी सं0 01) के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी ने यह भी सिद्ध नहीं किया कि उसके पास खुद के नाम कितनी कृषि भूमि है, जिसके लिए उसे लगातार डीजल का परिवहन करना पड़ रहा है। अप्रार्थी ने कोई ट्रैक्टर के स्वामित्व के दस्तावेजों एवं कृषि भूमि के दस्तावेज तथा जमाबंदी आदि प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के जवाब प्रस्तुत करते समय कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किये है, लेकिन उक्त दस्तावेज मात्र से अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु परिवहन किये जाने का तर्क साबित नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर 1800 लीटर डीजल मय 08 प्लास्टिक ड्रम एवं 1 प्लास्टिक कैनी को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निरतारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 17.06.2021 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

जहां तक जब्तशुदा पिकअप नं0 RJ-10-GA-7294 का प्रश्न है, वाहन मालिक के विरूद्ध दुबारा पुनरावर्ती नहीं हो कि चेतावनी के साथ केवल मात्र इस न्यायालय में दर्ज उक्त दर्ज धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में जब्तशुदा पिकअप नं0 RJ-10-GA-7294 को जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है।

अतः जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड मालिक द्वारा वाहन के मालिकाना दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर उक्त जब्तशुदा पिकअप नं0 RJ-10-GA-7294 के इंजिन नं0 व चैसिस नम्बर, वाहन की पंजीयन कॉपी (आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार वाहन मालिक को सौंप दिया जाये। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.07.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक असीजा)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़